सं. 11026/16/2009-आर्म्स

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

आन्तरिक सुरक्षा-।। प्रभाग

शस्त्र अनुभाग

****

दिनांक: 14 जनवरी, 2010

विषय: शस्त्र एवं गोलाबारूद विनिर्माण नीति के मसौदे पर आम जनता की टिप्पणियां

नीचे दिए गए शस्त्र एवं गोलाबारूद नीति के मसौदे पर आम जनता की टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। इस बारे में टिप्पणियां श्री एस.के. मलहोत्रा, उप सचिव, गृह मंत्रालय, 9वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली को अथवा ई मेल आई डी - sudhir.malhotra@nic.in **पर 29 जनवरी, 2010 तक भेजी जाएं**।

ह0/-

(एस. के. मल्होत्रा)उप सचिव (विधिक)

<u>शस्त्र एवं गोलाबारूद विनिर्माण नीति</u>

शस्त्र अधिनियम, 1959 दिनांक 01.10.1962 को प्रवृत्त हुआ था। शस्त्र नियम 1962 भी 01.10.1962 से प्रवृत्त हुए। शस्त्र अधिनियम/नियमों के अधिनियमन से पूर्व भारत सरकार के ध्यान में यह बात आई कि कुछ स्थानों पर छोटे शस्त्रों और गोलाबारूद का गैर-सरकारी पक्षकारों द्वारा निर्माण किया जा रहा है। अंतिम निर्णय होने तक तत्कालीन राज्य मंत्री द्वारा 25.03.1952 को अनुदेश जारी किए गए जिनमें विधिवत रूप से लाइसेंसधारी गैर-सरकारी पक्षकारों, जो पहले से ही इस कार्य को कर रहे थे, द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन शस्त्र एवं गोलाबारूद का विनिर्माण जारी रखे जाने के बारे में अनापत्ति दी गई थी :-

(क) रिवाल्वर, पिस्टल तथा राइफल्ड हथियारों अथवा इस प्रकार के हथियारों में प्रयुक्त होने वाले गोलाबारूद का विनिर्माण नहीं किया जाए;

(ख) सुरक्षा संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि इस प्रकार के कारखानों के उत्पाद अनधिकृत व्यक्तियों के हाथ न लग सकें; और

(ग) शस्त्रों और गोलाबारूद के विनिर्माण के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा पहले से जारी किए गए लाइसेंसों का विवरण गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए।

2. दिनांक 30.4.1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसरण में भारत सरकार ने दिनांक 08.3.1957 को जारी किए गए अनुदेशों के तहत यह निर्णय लिया कि निजी क्षेत्र में ऐसे मौजूदा यूनिटों, जिनको इस प्रकार के विनिर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन पहले ही लाइसेंस प्रदान किया गया है, द्वारा शस्त्रों और गोलाबारूद के विनिर्माण को जारी रखने पर कोई आपत्ति नहीं है :-

(i) रिवॉल्वर, पिस्टल तथा राइफल्ड हथियारों अथवा इस प्रकार के हथियारों में प्रयुक्त होने वाले गोलाबारूद का विनिर्माण नहीं किया जाए;

(ii) सुरक्षा संबंधी एहतियातों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि इस प्रकार के कारखानों के उत्पाद अनधिकृत व्यक्तियों के हाथ न लग सकें;

(iii) इस प्रकार के यूनिटों का प्रचालन उनके द्वारा पहले से निर्मित की जा रही मदों तक ही सीमित हों;

(iv) उत्पादों की रेंज को बढ़ाकर और/अथवा पहले से निर्मित मदों की क्षमता में वृद्धि करके इन गतिविधियों में किसी भी प्रकार के विस्तार की अनुमति भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना न दी जाए;

(v) विनिर्मित हथियारों का निर्धारित विनियमों के अनुसार परीक्षण किया जाना चाहिए; और

(vi) शस्त्रों और गोलाबारूद के विनिर्माण के लिए कोई नए लाइसेंस प्रदान न किए जाएं।

3. 13.7.1962 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार एयर गन्स/एयर राइफल्स और एयर पिस्टल, जो परीक्षण पर खरे उतरते हैं, अर्थात् जिन हथियारों से निकलने वाली गोलियां एयर पिस्टल और एयर गन्स/राइफल्स द्वारा क्रमश: $^{1}/_{2}$ इंच और 1 इंच की मोटाई वाली गांठ रहित और दोनों तरफ से समतल चीड़ की लकड़ी के बोर्ड से बने 12 इन्च वर्ग के लक्ष्य को न भेद सके, के उत्पादन को उक्त अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन, शस्त्र अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से अलग रखा गया है।

4. आर्थिक व्यवहार्यता, उत्पादन क्षमता, निर्मित बंदूकों की गुणवत्ता अथवा उनके मूल लाइसेंस कोटा को किसी समय कम कर दिए जाने अथवा पुनर्निर्धारित करके कम किए जाने के आधार पर बंदूक विनिर्माण कोटा में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में मौजूदा लाइसेंसधारी विनिर्माताओं से प्राप्त अनुरोधों के अनुसरण में एक व्यापक समीक्षा की गई। कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, आन्तरिक सुरक्षा की आवश्यकता, निजी विनिर्माताओं की मौजूदा क्षमता, नागरिकों के प्रयोग के लिए शस्त्रों का विनिर्माण करने हेतु आयुध कारखानों की उत्पादन क्षमता तथा आयात के जरिए आग्नेयास्त्रों की उपलब्धता पर गौर किया गया था। भारत सरकार ने जनहित में यह निर्णय लिया कि नीतिगत मामले के तौर पर भारत सरकार द्वारा शस्त्रों के विनिर्माण के लिए विनिर्माण कोटे में वृद्धि अथवा बहाली अथवा पुनर्निर्धारण अथवा संशोधन पर

किसी भी आधार पर विचार नहीं किया जाएगा। तदनुसार, 11.12.1985 को अनुदेश जारी किए गए।

5. नए विनिर्माण लाइसेंसों, उत्पाद रेंज के विविधीकरण, विनिर्माण कोटा में वृद्धि तथा मौजूदा लाइसेंसों से पूर्व में हटाई गई कुछ मदों को पुन: बहाल करने के बारे में शस्त्र एवं गोलाबारूद विनिर्माताओं से बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों के अनुसरण में भारत सरकार ने विनिर्माण नीति की समीक्षा की तथा 1.10.1991 को निम्नलिखित निर्णय लिए जिन्हें बाद में 5.10.95 को वापिस ले लिया गया:-

(i) राज्य सरकार की सिफारिशों के अनुसार अब आगे से मज़ल लोडिंग (एम एल) बन्दूक विनिर्माताओं को मौजूदा लाइसेंस क्षमता के भीतर ब्रीच लोडिंग (बी एल) बन्दूकों का विनिर्माण करने की अनुमति दी जाए।

(ii) मौजूदा खाली फायर कारतूस विनिर्माताओं को उनकी समग्र सीमा के भीतर अपने मौजूदा कोटा के 20% तक जीवित कारतूसों का विनिर्माण करने की अनुमति प्रदान की जाए।

(iii) अनुमेय प्रकार के शस्त्रों और गोला बारूद के विनिर्माण के मामले में मौजूदा कोटा से 20% की वृद्धि की अनुमति राज्य सरकार की सिफारिशों के अध्यधीन प्रदान की जाए।

6. वर्तमान में 95 फर्में ऐसी हैं जिनको बन्दूकों (एक नली/दुनाली) के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान किए गए हैं तथा 25 फर्में ऐसी हैं जो अपने लाइसेंसों में अनुमत कोटा तक कारतूसों (या तो खाली कारतूस अथवा जीवित कारतूस अथवा दोनों) का विनिर्माण करती हैं। यद्यपि न्यायालय के निर्णयों के परिणामस्वरूप अथवा अन्य प्रकार से विगत में कुछ फर्मों के कोटे में वृद्धि की गई किन्तु किसी भी आधार पर कोटे में वृद्धि न किए जाने के संबंध में 11/12/85 को जारी किए गए अनुदेश, जिनका 16.4.1998 को पुन: उल्लेख किया गया था, वर्तमान में भी लागू हैं।

7.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने शून्य अथवा 26% एफ डी आई तक निजी क्षेत्र में शस्त्रों और गोलाबारूद के विनिर्माण की अनुमति प्रदान किए जाने के बारे में 2001-2002 के दौरान मंत्रिमंडल से एक निर्णय प्राप्त किया। स्पोर्ट्स हथियारों के विनिर्माण की अनुमति देने के बारे में भी कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

8.	देश में विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के लिए यह अपेक्षित है कि सरकार शस्त्रों और गोलाबारूद का पूर्णतः अप्रसार सुनिश्चित करे। तथापि, रक्षा क्षेत्र, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के लिए उन्नत हथियारों की आवश्यकताओं, शस्त्र और गोलाबारूद उद्योग के तकनीकी उन्नयन पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि :

क)	निजी क्षेत्र में शस्त्रों के विनिर्माण की अनुमति डी आई पी पी द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक लाइसेंस के अध्यधीन सीमित आधार पर प्रदान की जाए।

ख)	बड़े पैमाने के क्षेत्र की ऐसी यूनिटें जो उन्नत हथियारों का विनिर्माण करने तथा 50 करोड़ रु. से अधिक का निवेश करने में सक्षम हैं, से प्राप्त आवेदनों पर डी आई पी पी द्वारा 26% तक की एफ डी आई के साथ अथवा उसके बिना विचार किया जा सकता है क्योंकि 'शस्त्र एवं गोलाबारूद' की मद अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत आती है। किसी भी स्थिति में कुटीर अथवा लघु उद्योग यूनिटों को नए लाइसेंस जारी न किए जाएं।

ग)	शस्त्रों और गोलाबारूद की आपूर्ति मुख्यतः निविदा आधार पर केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों, रक्षा और राज्य सरकारों को की जाए अथवा इनका निर्यात किया जाए। स्वचलित और अर्ध स्वचलित हथियारों तथा अन्य सभी निषिद्ध बोर हथियारों को शस्त्र डीलरों के माध्यम से स्थानीय बाजार में बेचे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इनकी आपूर्ति अनिवार्य रूप से निविदा आधार पर रक्षा, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य सरकारों को की जाएगी अथवा इनका निर्यात किया जाएगा।

(घ)	स्पोर्ट्स संबंधी हथियारों तथा एन पी बी हथियारों की आपूर्ति केवल लाइसेंस धारकों को बिक्री के लिए पंजीकृत शस्त्र डीलरों को ही की जाएगी।

(ङ.) मौजूदा फर्मों के विनिर्माण कोटा में किसी प्रकार की वृद्धि की अनुमति प्रदान नहीं की जाए।

(च) शस्त्रों और गोलाबारूद के विनिर्माण संबंधी आवेदनों पर प्रक्रिया के अनुसार डी आई पी पी द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाए। स्पोर्टस संबंधी हथियारों के विनिर्माण संबंधी आवेदनों पर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाए जो इस बारे में भारतीय खेल प्राधिकरण, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया आदि, जैसा वह उचित समझे, से परामर्श कर सकता है।

(छ) डी आई पी पी ऐसी अन्य शर्तें लगा सकती है जो वह उचित समझे।

(ज) ऐसे मामलों, जिनमें डी आई पी पी द्वारा औद्योगिक लाइसेंस गृह मंत्रालय की सहमति के बिना पहले ही जारी कर दिए गए हों, में गृह मंत्रालय डी आई पी पी द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों के नवीकरण को ऐसी कठोर शर्तों के अध्यधीन सहमति प्रदान कर सकता है जो नवीकरण के समय लगाई जाएंगी ताकि तीनों फर्में नई नीति के अनुसार प्रभावी कदम उठा सकें।

(झ) शस्त्र नियम, 1962 में प्रत्येक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी, जो निरीक्षक के रैंक से नीचे का न हो, को शस्त्रों और गोलाबारूद विनिर्माता के परिसरों में प्रवेश करने तथा उनका निरीक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि वह भण्डार और शस्त्रों और गोला बारूद के प्राप्ति और निपटान के लेखों का निरीक्षण कर सकें। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विनिर्माण यूनिटों का निरीक्षण निर्धारित करने तथा गृह मंत्रालय को सूचित करते हुए संबंधित राज्य सरकार के सचिव (गृह) को रिपोर्ट भेजने का प्रस्ताव किया गया है।

*****